कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

No.F. /Estt./COAJ/2025/2644 Dated: 12-09-2025

कोटेशन

कृषि महाविद्यालय झिलाई में वर्ष 2025–26 में किसान मेला / प्रशिक्षण / संगोष्ठी मे भोजन की व्यवस्था हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते है, इस कार्य में इच्छूक भोजन आपूर्तिकर्ताओं जिनके पास जी.एस.टी नं. व बैंक खाता हो वह दिनांक 15.09.2025 दोपहर 12.00 बजे तक बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन दोपहर 1.00 बजे कमेटी द्वारा खोले जायेगे। इस कार्य की अनुमानित कीमत अधिकतम रुपये 90000 / – (नब्बे हजार) होगी। कोटेशन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

श्रेणी	समग्री विवरण	दर
भोजन	(A) मिक्स सब्जी, दाल, चपाती/पूड़ी प्रति व्यक्ति	
	(B) चपाती/पूड़ी व सब्जी प्रति व्यक्ति	
	(C) दाल व बाटी (देशी घी) प्रति व्यक्ति	
	(D) दाल बाटी व चूरमा (देशी घी) , मिर्च टपोरे , नींबू प्रति व्यक्ति	
	(E) खीर ,मालपूए , पूड़ी व दाल प्रति व्यक्ति	
	(F) बुदी, पूड़ी ,दाल/सब्जी प्रति व्यक्ति	
नास्ता	(A) कचोरी दाल की प्रति नग	
	(B) कचोरी प्याज की प्रति नग	
चाय	100 मिलि.	

शर्तेः–

1. खाना बनाने में उच्च कोटी की खाद्य सामग्री, शुद्ध आटा, ताजा सब्जी, मूंगफली, तेल देशी घी एगमार्का का होना आवश्यक है।
2. खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, बिछाने की दरी पट्टी, पीने के पानी इत्यादि व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।
3. भोजन में किसी भी प्रकार की शिकायत व फूड पोइजनिंग की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी भोजन आपूर्तिकर्ता की होगी।
4. यह दरें वित्तिय वर्ष 2025–26 के लिए मान्य होगी।
5. भोजन आपूर्तिकर्ता को पैनकार्ड, जीएसटी नं., बैंक पासबुक की छाया प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. भुगतान बिल प्रस्तुत करने के पश्चात कोष कार्यालय से पारित होने पर कर दिया जावेगा। नियमानुसार TDS काटा जायेगा।
7. कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित कमेटी / प्रभारी अधिकारी / कार्यक्रम प्रभारी समय–2 पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेगे।
8. किसी भी प्रकार की जोखिम और दुर्घटना के लिए कृषि महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर)
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर) को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावे।
3. संयोजक / सदस्य, कोटेशन समिति, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
4. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
5. नोटिस बोर्ड पंचायत कार्यालय झिलाई।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोब
झिलाई, निवाई (टोंक)